

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / 28 / 2020

बैंक ऑफ बडौदा शाखा कृषि मण्डी भरतपुरजरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्कोर क्रेडिटर

बनाम

- 1-श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री जयचन्द निवासी 320 एस0पी0एम0 नगर भरतपुर
- 2-श्री जय चन्द पुत्र स्व. बाके लाल निवासी 320 एस.पी.एम. नगर, भरतपुर

.....अप्रार्थी ऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 6.7.2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 23.6.2012 को 1100000/- एवं दिनांक 19.9.2019 800000/- रुपये का टर्म लोन की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति रिहायसी सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग जो कि प्लॉट न.320 एस.पी.एम. नगर भरतपुर राज0 में स्थित है, जो कि शारदा देवी पत्नी श्री जयचन्द के नाम से है जिसका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज जिसके हदूद अरबा इस प्रकार है पूर्व में इस ओर रोड, पश्चिम में इस ओर भूमि यू. आई.टी., उत्तर में इस ओर प्लॉट न0 321 दक्षिण में प्लॉट न0 319 है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 31-12-2019 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 06-01-2020 तक 1750724.27/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 06-01-2020 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा बैंक के द्वारा नोटिस का प्रकाशन दो अखबार में कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

(2)

प्रा.पत्र / 28 / 2020
बैंक आफ बडौदा बनाम शारदा देवी वगै.

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 06-01-2020 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा बैंक के द्वारा नोटिस का प्रकाशन दो अखबार में कराया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति रिहायसी सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग जो कि प्लॉट न.320 एस.पी.एम. नगर भरतपुर राज0 में स्थित है, जो कि शारदा देवी पत्नी श्री जयचन्द के नाम से है जिसका क्षेत्रफल 70 वर्गगज जिसके हदूद अरबा इस प्रकार है पूर्व में इस ओर रोड, पश्चिम में इस ओर भूमि यू.आई.टी., उत्तर में इस ओर प्लॉट न0 321, दक्षिण में प्लॉट न0 319 है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।



Koh
(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर